केवल अग्रिम अदायगी के एवज में अथवा रिवाल्विंग लेटर आफ क्रेडिट के एवज में की जाएगी ।

(2) भारत सरकार ने 31-5-1990 को कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि के सभी अविवादित मामलों को राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय सहायता की राशि के एवज में, जिन राज्य सरकारों के राज्य विद्युत बोर्ड तथा विद्युत उपयोगितायें दोषी पाई गई हैं, उनसे 4 बराबर की वार्षिक किश्तों में समायोजित करने का निर्णय लिया । अभी तक 3 किश्तें प्राप्त हुई हैं ।

(3) बकाया देय राशि के एकत्रित हो जाने के परिणामस्वरूप कोयला मंत्रालय ने को०इ०लि० को यह सलाह दी है कि वे राज्य विद्युत बोर्डों को केवल अग्रिम अदायगी के एवज में ही कोयले की आपूर्ति करें । यह योजना जोकि "कैश एण्ड कैरी योजना" के नाम से जानी जाती है, दिनांक 1-10-1991 से शुरू की गई है ।

(4) राज्य सरकारों, से राज्य विद्युत बोर्डों को देय बकाया राशि का शीघ्र निपटारा किए जाने के लिए बोर्डों को राजी करने/अदायगी के लिए तैयार करने के लिए, अनुरोध किया गया है ।

खनन कार्य में अनियमितताएं

3567. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खनन-कार्य में हैवी एच० ई० एम० एस० की सेवाएं लिए जाने में अनियमितताएं बरते जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा एक स्वतंत्र निकाय के माध्यम से की गई जांच की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) हाल ही में सरकार को, अन्य बातों के अलावा, उपकरण को उपयोग में न लाने/कम उपयोग में लाने की कुछ विशेष घटनाओं के बारे में सूचना मिली है, जैसा कि लिंगराज, गिरीडीह तथा चित्रा खानों में उपकरण का कम उपयोग किया जाना ।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किसी स्वतंत्र निकाय के माध्यम कोई जांच नहीं कराई गई है ।

(घ) कोयला कम्पनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वास्तविक स्थिति के सत्यापन के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करें ।

कोयला खनन संबंधी उपकरणों की आपूर्ति में विलंब

3568. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खनन संबंधी उपकरणों की आपूर्ति में विलंब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कब आदेश दिए गए थे ; और

(ग) कंपनियों द्वारा इसकी शीघ्र आपूर्ति किए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) निर्माताओं द्वारा कोयला कंपनियों को निम्न उपकरणों की देरी से आपूर्ति किए

जाने का पता चला है---ड्रैगलाइन्स, बेल्ट कन्वेयरों, कोयला कटिंग मशीनों, साइड डिस्चार्ज लोडर्स, आदि उपकरणों के संबंध में है । इन उपकरणों के आदेश पिछले 3 से 4 वर्षों के दौरान प्रस्तुत किए गए हैं ।

(ग) कोयला कंपनिया उपकरण की तीव्र सुधुर्दगी के लिए निर्माताओं के साथ नियमित रूप से कार्रवाई कर रही हैं । इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा निर्माताओं को उपकरणों की समय पर आपूर्ति किए जाने का सुनिश्चय करने के लिए कहा गया है ।

कोयले के उत्पादन, प्रेषण और भंडारण में कमियां

3569. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के उत्पादन, प्रेषण और भंडारण रिपोर्टिंग प्रणाली की वर्तमान कमियों को दूर करने की जांच कार्य एक विशेषज्ञ दल को सौंपा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त जांच कार्य कब सौंपा गया था और इस संबंध में प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था ;

(घ) प्रतिवेदन में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) उस प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० (को० इ० लि०) के निदेशक बोर्ड ने अपनी दिनांक 22-12-1990 को सम्पन 113वीं बैठक में ऊपरी मलबा हटाने (ओ० बी० आर०) तथा कोयले के स्टाकों का निश्चित रूप से मापन किए जाने की विद्यमान पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा किए जाने के लिए एक उप-समिति की नियुक्ति की थी । इस उप समिति ने विस्तृत अध्ययन किए जाने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । कोल इंडिया लि० के निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक 22-8-1991 को उप समिति की रिपोर्ट को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है ।

(घ) और (ङ) यथावत स्वीकृत सिफारिशों को संहित कर दिया गया है और इन्हें कोल इंडिया लि० द्वारा अपनी सहायक कंपनियों में सख्ती से क्रियान्वित किए जाने के लिए परिचालित कर दिया गया है । इस संहिता में ओ. का खानों में कोयला तथा ऊपरी मलबा हटाने (ओ० बी० आर०) के मापन, कोलियरी उपभोग के लिए कोयला जारी किए जाने संबंधी मानदंड तथा कोयला के स्टाकों में कमी पाए जाने संबंधी मामलों की जांच तथा कार्रवाई किए जाने संबंधी अंगीकृत की जाने वाली पद्धतियां निर्धारित की गई हैं ।

कोयला संबंधी कार्यशालाओं में मशीनों की मरम्मत

3570. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कार्यशालाएं समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन कार्यशालाओं के माध्यम से कितनी मशीनों की मरम्मत का कार्य किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि 100 से भी अधिक कार्यशालाएं मौजूद होने के